का०ज्ञा० सं० II/20015/43/94-रा०भा० (क-2), दिनांक 17.10.1994

विषय:— मंत्रालय/विभागों की पूर्व हिंदी सलाहकार समिति की अंतिम बैठक के विचार-विमर्श तथा विचार-विमर्श के दौरान लिए गए निर्णयों को पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक में समीक्षा।

भारत सरकार की राजभाषा नीति कार्यान्वयन को सुचारु बनाने की सलाह देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों के 3 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हुई अंतिम बैठक के विचार-विमर्श तथा निर्णयों को नई समितियों की प्रथम बैठक में समीक्षा के लिए रखने या न रखने के लिए इस विभाग से अनेक मंत्रालय/विभाग स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

2. इस विषय पर राजभाषा विभाग में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। यह मामला उच्च स्तरीय समितियों की बैठकों में हुए विचार-विमर्श तथा निर्णयों से संबंधित है। हिंदी सलाहकार समितियों की सेवाएं मंत्रालयों/विभागों को राजभाषा नीति को चलाने के लिए चिरकाल तक उपलब्ध करवाई गई है। इसलिए आवश्यक है कि सलाहकार समितियों के पुनर्गठन के बावजूद भी इनकी सलाह और निर्णयों पर कार्रवाई लगातार होती रहे। अत: पूर्व समिति की आखिरी बैठक के कार्यवृत्त पर नई समिति की प्रथम बैठक में कार्रवाई समीक्षा करवाई जाए।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों के लिए उपरोक्त प्रक्रिया अपनाने की कृपा करें।